



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 724 राँची, बुधवार

8 आश्विन, 1937 (श०)

30 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2015

संख्या-6B/न.वि./निविदा समिति-02/2015-3429-नगर विकास एवं आवास विभाग तथा नगरीय प्रशासन निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जानेवाली राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं एवं समय-समय पर आमंत्रित अन्य निविदाओं के निस्तारण हेतु विभागीय निविदा समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है:-

i	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय	अध्यक्ष
ii	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
iii	मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

iv	योजनावित्त विभाग के प्रतिनिधि-सह-	सदस्य
v	उप सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
vi	भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि (कार्यपालक अभियंता से अन्यून पदाधिकारी)	सदस्य
vii	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि (कार्यपालक अभियंता से अन्यून पदाधिकारी)	सदस्य
viii	उप निदेशकसहायक निदेशक/, न.प्र.निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त निविदा समिति के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग तथा नगरीय प्रशासन निदेशालय के स्तर से आमंत्रित निविदाओं पर नियमानुसार विचार करने तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा समर्पित की जायेगी ।
- यदि किसी योजना विशेष में निकाय स्तर से मंतव्य आवश्यक हो तो, निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के द्वारा संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा ।
- निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में पूर्व में गठित सभी निविदा समितियों के गठन संबंधी अधिसूचनाओं को निरस्त किया जाता है।
- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 724—50 ।